26/4/2020 पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उप/
कायम मुकाम की कार्यवाही हेतु अपीलार्थी के अधिवक्ता
के अनुपस्थित होने के कारण नोटिस
पत्रावली रिमांड 15/5/2020 को पेश हो।

4/6/2020 रिमांड 15/4/2020 को लौटकर आने के
पश्चात पत्रावली अग्रिम तारीख पेश हुई।
वकुलाम उपस्थित न होने के कारण
कायम मुकाम की कार्यवाही
पत्रावली रिमांड 8/7/2020 को
पेश हो।

8/7/2020 पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उप/
कायम मुकाम की कार्यवाही
हेतु अपीलार्थी के अधिवक्ता
सतर्क चाहते है अतः पत्रावली
दिनांक 9/7/2020 को पेश हो।

9/7/2020 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के वकील श्री जावेद हुसैन उप०।
उन्होंने अपीलार्थी की ओर से एक प्रार्थना-पत्र मय अपील न्यायालय
के निर्णय दि. 13.3.2020 की प्रति के पेश किया जो
शामिल रिकार्ड किया गया है। उन्होंने अपील वापस करने
की इच्छा चाही। उन्हें सुना गया। रिकार्ड देखा गया।
अपीलार्थी न्यायालय के मुकदमा सं० 19/2018 प्रार्थना-पत्र
की पत्रावली देखी जिसमें अपीलार्थी ने दि. 8.2.18
अनवान गुट्टी देवी पत्नी श्री पुखराज व अन्य डूंगर पुत्र बीसाराम वगैरह
है। इसके विरोधित अपीलीय न्यायालय में मूल वाद सं० 10/2018
u/s 88, 188 RT Act अनवान गुट्टी देवी वगैरह बनाम
डूंगर वगैरह सहायक कलक्टर पीपाड़शहर न्यायालय का है।

(Javed Hussain)
Adv.

P.T.O

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मूल वाद का अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय दि० 13/3/2020 हो चुका है जिसकी प्रति का अवलोकन किया। चूंकि मूल वाद का निस्तारा अधीनस्थ न्यायालय में हो चुका है इसलिए न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील का अब कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अपीलांट वकील ने इसे अपने "प्रार्थना-पत्र बाबत विड्रो करने अपील" में स्पष्ट किया है कि-" अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर में विचाराधीन मूल वाद दि. 13.3.2020 को खारिज किया गया। इस मूल वाद खारिज होने से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील स्वाभाविक रूप से औचित्यहीन हो गई है" लिहाजा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट इस अपील को जरिये विड्रो करना चाहता है अतः इस अपील विड्रो कर निस्तारित की जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं निर्णय के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील 54/2018 नीमाराम वगैरह बनाम गुटीदेवी अधीनस्थ न्यायालय में संबंधित वाद का निस्तारा हो जाने के फलस्वरूप निष्प्रभावी हो गई है लिहाजा अपील को तदनुसार खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नेकर से कम हो। कार तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश की प्रति सहित अधी० न्यायालय की पत्रावली लौटावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर